यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, स्थापना खंड,सिंचाई विभाग,रुड़की द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता,स्थापना खंड, सिंचाई विभाग,** रुड़की के माह 08/2019से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री जोगिंदर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी(तदर्थ), श्री ललित मोहन सिंह बिष्ट, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रदीप कुमार मौर्या,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक04.12.2020 से 18.12.2020 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर०एन०यादव, श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री नन्दन सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18.08.2019से 30.08.2019 तक श्री वी0पी0 सिंह,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2018 से 07/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** खंड का मुख्य कार्य निक्षेप कार्यों का निष्पादन किया जाना हैं।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(` लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2017-18	-	(-)199.61	401.88	393.25	2362.78	1984.93
2018-19	-	178.24	403.24	352.82	1234.68	1348.08
2019-20	-	64.84	6.95	5.43	892.12	866.59
2020-21 (माह 11/2020 तक)	-	90.37	3.40	2.72	294.10	329.63

01 अप्रैल 2019 से Global Budgeting के तहत मुख्यालय स्तर से ही वेतन एवं महंगाई भत्तों का वितरण हो जाता है तथा उक्त धनराशि खंड के खातों में परिलक्षित नहीं होती है।

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं:

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत**
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई **"ए"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव, सिंचाई विभाग
2. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून
3. मुख्य अभियंता स्तर-2 (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, देहरादून
4. अधीक्षण अभियंता,नलकूप मण्डल,रुड़की
5. अधिशासी अभियंता, स्थापना खंड, रुड़की

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, स्थापना खंड**,** रुड़की को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, स्थापना खंड**,** रुड़की की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2019को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2.अधीक्षणअभियंताद्वाराविगतलेखापरीक्षासेअबतककीअवधिमेंदिनांक 08.07.2020 से 09.07.2020 तक खंड का निरीक्षणकियागया।

3.खण्डकेभण्डारलेखोंकीअर्द्धवार्षिकलेखाबन्दीतथायंत्रसंयंत्रलेखोंकीवार्षिकलेखाबन्दीक्रमशःमाह03/2020तथा 09/2015तककीगई।

4.फार्म-51:माह09/2020तककार्यालयमहालेखाकार(लेखाएवंहकदारी)उत्तराखण्डदेहरादूनकोप्रेषितकियाजाचुकाहैजिसके भागप्रथमएवंद्वितीयकेअवशेषनिम्नवत्हैः-

भागप्रथम₹(-)15030.00

भागद्वितीय शून्य

5.खण्डकेउचन्तलेखोंकेअवशेषमाह11/2020 केअन्तमें

(क)प्रकीर्णनिर्माणअग्रिम---₹281529.00

(ख)सामग्रीक्रय-शून्य

(ग)नगदपरिशोधन-शून्य

(घ)निक्षेप----₹10183146.00

(ङ)भण्डार---₹(-)3123541.00

भाग- दो‘अ’

प्रस्तर-1: एक वाणिज्यिक निगमकेनिक्षेपकार्यों पर `66.87 लाख के सेंटेजप्रभारनवसूल किए जाना

वित्तीयहस्त-पुस्तिका (खंड-6) केप्रस्तर-15,633से636केप्रावधानोंअनुसारजबकिसी शासकीय कार्यदायी संस्था द्वारा किसीस्थानीयनिकाय,नगरपालिकाओंववाणिज्यिक निगमों आदि के लिए कोई निशेप कार्य किए जाने होते है तोखंडीयप्राधिकारीद्वाराउक्तकेप्राकलनोंमेंकार्यकीलागतकेसाथ-साथवसूलनीयप्रभारों (Centage Charges)कोसम्मलितकरतेहुयेएकमुश्तअथवाकिश्तोंमेंअग्रिमकेरूपमेंनिक्षेप-राशियांप्राप्तकरनीहोतीहै तथा प्राप्तनिक्षेपराशियोंका समायोजनलेखों में ‘कार्योंपरव्यय’तथा‘सेंटेजप्रभारों’केरूपमेंप्रथक-प्रथकरूप सेकिया जाता है।

राज्यसरकारद्वाराशासनादेशसंख्या-163/xxvii(7)/2008दिनांक22-05-2008केमाध्यमसे कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निक्षेप कार्यों पर प्रभारितकिएजानेवालेसेंटेजचार्जेजका निर्धारण किया गया था जिसके अनुसार `1 करोड़,`1 से 5 करोड़ तथा`5 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों पर क्रमश; 10 प्रतिशत, 9प्रतिशतव 8प्रतिशतके सेंटेजचार्जेज की दर निर्धारित की गई है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता,स्थापना खण्ड, सिंचाई विभाग, रुड़की के लेखा अभिलेखों के अवलोकन (दिसम्बर2020) से पाया गया था कि खण्ड द्वारा मुख्यत शासकीय/अर्धशासकीय विभागों एवं निगमों से संबन्धित विभिन्न जलाशयों, बैराजों एवं जल-विद्युत परियोजनाओं के गेटों के हाइड्रो-मेकेनिकल कार्यों का निष्पादन, निक्षेप कार्यों के रूप में किया जाता है। विगत तीन वित्तीय वर्षों (2018-19 से 2020-21) के दौरान खण्ड द्वारा कुल `826.36 लाख की लागत के 35 निक्षेप कार्यों का निष्पादन किया गया था जिसमें से `769.91 लाख की लागत के 33 निक्षेप कार्य उत्तराखण्ड जल विद्दूत निगम लि0 (UNVNL) के लिए थे और शेष दो निक्षेप कार्य विभागीय (सिंचाई खण्ड-हल्द्वानी) थे। इस प्रकार खण्ड द्वारा वर्तमान में अधिकांशत UJVNL के निक्षेप कार्यों का ही निष्पादन किया जा रहा था।

लेखा परीक्षा जांच में पाया गया था कि खण्ड द्वारा UJVNL (वाणिज्यिक निगम) के इन 33 निक्षेप कार्यों पर उपरोक्त वर्णित वित्तीय प्रावधानों एवं शासन द्वारा निर्धारित दर से सेंटेज चार्जेज वसूल नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप विभाग को सेंटेज चार्जेज के रूप में प्राप्त होने वाले `66.87लाख (विवरण **संलग्रक-क** के अनुसार) की प्राप्ति से वंचित रहना पड़ा था।

प्रकरण को इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा उत्तर दिया गया था कि संबन्धित खण्ड द्वारा UJVNL को कार्यों की अनुमानित लागत का प्रस्ताव देकर UJVNL के कार्यादेशों पर ही अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्य किया गया है जो डिपॉजिट श्रेणी में न आकार अनुबन्ध के विरुद्ध कार्य है, जिस पर सेंटेज चार्जेज अनुमत्य नहीं है। साथ ही, यह भी इंगित किया गया था कि पूर्व में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित इन वैराजों के हाइड्रो-मेकेनिकल कार्योंका निष्पादन इस खण्ड द्वारा किया गया था जिनको वर्तमान में UJVNL द्वारा संचालित किया जा रहा है और हाइड्रो-मेकेनिकल कार्योसे संबन्धित अनुरक्षण/रखरखाव कार्य, भवन निर्माण एवं वास्तुविद् सेवाओं की श्रेणी में नहीं आते है इसलिए इन पर सेंटेज चार्जेज अनुमत्य होंगें। खंडीय उत्तर तर्क/नियम संगत न होने के कारण अमान्य थे क्योंकि प्रत्येक शासकीय अभियांत्रिकी इकाइयों/विभागों द्वारा निक्षेप कार्यों को ग्राहक विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार दोनों पक्षों में गठित अनुबन्ध/एम.ओ.यू. (MOU) के अन्तर्गत ही निष्पादित करवाये जाते है और कार्य केकिसी स्थानीय निकाय/नगरपालिका/वाणिज्यिक निगम से संबन्धित (मूल निर्माण अथवा अनुरक्षण/रखरखाव कार्य) होने की दशा में इन्हें गैर-शासकीय कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐवज में उपरोक्त वर्णित शासनादेश एवं वित्तीय प्रावधानोंके अनुसार सेंटेज चार्जेज वसूल किए जाने होते है।

अतः खण्ड द्वारा अनियमित रूप से वाणिज्यिक निगम (UJVNL) के इन निक्षेप कार्यों पर `66.87 लाख के सेंटेजप्रभारनवसूल किए जाने का यह प्रकरण शासन के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रकाश में लाया जाता है।

Annexure-I

Details of deposit works (UJVNL) taken-up without Centage Charges

Sl No	Work Order No. & date	TS No.	Name of work	Sanctioned Cost (` in lakh)			Recoverable Centage Charges	
				Cost of works	Overhead charges	Total	%	Amount (` in lakh)
1.	KE-301 Dt. 03-05-2018	01/EE 2018-19	Manufacturing & supply of CI Back-guide of Head Regulator Gate at Pashulok Barrage	**6.69**	1.20	7.89	**10**	**0.669**
2.	KE-302 Dt. 30-05-2018	02/EE 2018-19	Alignment & overhauling of hoist system of Head Regulator Gate at Pashulok Barrage	**40.87**	7.35	48.22	**10**	**4.087**
3.	KE-303 Dt. 30-05-2018	03/EE 2018-19	Replacement of break of hosting arrangement of under sluice gate, other way Gate and HR Gate at Pashulok Barrage	**11.73**	2.11	13.84	**10**	**1.173**
4.	KE-304 Dt. 07-06-2018	04/EE 2018-19	Lifting hook of old stop log gate at Pashulok Barrage, Rishikesh	**5.42**	0.97	6.39	**10**	**0.542**
5.	KE-305 Dt. 27-12-2018	04/SE 2018-19	Overhauling & changing of rubber seals of 04 Nos. outlet bottom tier gates of Chibro Power Station	**75.20**	13.59	89.09	**10**	**7.520**
6.	KE-306 Dt. 27-12-2018	06/EE 2018-19	Replacement of Bearing of Roller Assembly with associated parts of 04 nos. Intake Gate of Maneri Dam, Uttarkashi	**43.29**	Extra	43.29	**10**	**4.329**
7.	KE-307 Dt. 27-12-2018	07/EE 2018-19	Extra work for major overhauling of 06 Nos. of Intake Gates at Joshiyara Barrage, Uttarkashi	**55.80**	Extra	55.80	**10**	**5.580**
8.	KE-308 Dt.10-01-2019	08/EE 2018-19	Repairing of Bye-pass gate no.01 of Kulhal Power House	**8.86**	Extra	8.87	**10**	**0.886**
9.	KE-309 Dt.10-01-2019	09/EE 2018-19	Arresting of leakage in Penstock of Unit No.-1 of Dharasu Power House	**33.90**	6.10	40.00	**10**	**3.390**
10.	KE-310 Dt.25-01-2019	10/EE 2018-19	Overhauling of hoist system of Intake Gates No.-1 to 4 at Chilla Power House	**14.20**	1.70	15.90	**10**	**1.420**
11.	KE-311 Dt.18-02-2019	11/EE 2018-19	Arresting of leakage in Penstock of Unit No.-4 of Dharasu Power House	**12.53**	2.25	14.78	**10**	**1.253**
12.	KE-312 Dt.11-03-2019	12/EE 2018-19	Arresting of leakage in Penstock of Unit No.-3 of Dharasu Power House	**22.26**	4.00	26.26	**10**	**2.226**
13.	KE-313 Dt.03-05-2019	01/EE/ 2019-20	Arresting of leakage in Penstock of Unit No.-2 of Dharasu Power House	**12.53**	2.25	14.78	**10**	**1.253**
14.	KE-314 Dt.28-05-2019	02/EE/ 2019-20	Underwater inspection of silt beam etc. at Ichari Dam	**7.40**	1.33	8.73	**10**	**0.740**
15.	KE-315 Dt.19-07-2019	03/EE/ 2019-20	Major overhauling of Bulk Head Gate, Draft Tube Gate and Ganry Crane at Ramganga Power House, Kalagarh	**51.35**	9.24	60.59	**10**	**5.135**
16.	KE-316 Dt.19-07-2019	04/EE/ 2019-20	Repair of Control System & Operation of Cylindrical Gate at Ramganga Power Dam, Kalagarh	**0.85**	0.15	1.00	**10**	**0.085**
17.	KE-317 Dt.05-08-2019	05/EE/ 2019-20	Extra work in hoist system of Intake Gate No.-4 at Chilla Power House, Chilla	**6.44**	0.98	7.42	**10**	**0.644**
18.	KE-318 Dt.30-08-2019	06/EE/ 2019-20	Repairing and overhauling of hoist mechanism of Barrage Gate No.-18 of Dakpathar Barrage, Dakpathar	**29.23**	5.26	34.49	**10**	**2.923**
19.	KE-319 Dt.11-09-2019	07/EE/ 2019-20	Removal of silt and lifting the badly drowned silted intake gate no.-04 of Chilla Power House, Chilla	**1.80**	0.03	18.83	**10**	**0.180**
20.	KE-320 Dt.22-10-2019	06/SE 2019-20	Major overhauling of hoisting arrangments of 04 numbers Radial Gates of Maneri Dam, Uttarkashi	**87.06**	Extra	87.06	**10**	**8.706**
21.	KE-321 Dt.13-11-2019	08/EE/ 2019-20	Overhauling and changing side gaide roller assembly of spillway gates at Ichari Dam	**22.36**	4.02	26.38	**10**	**2.236**
22.	KE-322 Dt.19-12-2019	09/EE/ 2019-20	Arresting of leakage in Penstock of Unit No.-02 of Dharasu Power House, Uttarkashi	**12.53**	2.05	14.78	**10**	**1.253**

23.	KE-323 Dt.19-12-2019	10/EE/ 2019-20	Repairing of cracks on CC Foundation of various 220KV equipment installed at switchyard of Dharasu Power House	**16.96**	3.05	20.01	**10**	**1.696**
24.	KE-325 Dt.25-02-2020	12/EE/ 2019-20	Underwater repair/replacement of Damaged Track-guide of spillway stop log gate no.-01 of Icharid Dam, Ichari	**7.60**	1.37	8.97	**10**	**0.760**
25.	KE-326 Dt.24-04-2020	01/SE 2020-21	Arresting of leakage in Penstock of Unit No.-1 of Dharasu Power House, Uttarkashi	**22.26**	4.00	26.26	**10**	**2.226**
26.	KE-328 Dt.04-06-2020	01/EE 2020-21	Replacement of new S.S.Sill Plate on sill beam of Intake Gate of Unit-A of Kulhal Power House, Dehardun	**4.21**	0.76	4.97	**10**	**0.421**
27.	KE-329 Dt.24-07-2020	02/EE 2020-21	Removal of silt & lefting the badly drawned silted Intake Gate No.-04 of Maneri Dam, Uttarkashi	**3.83**	0.69	4.52	**10**	**0.383**
28.	KE-330 Dt.18-08-2020	../SE 2020-21	Supply and fixing of governor at Intake Gate of Chilla Power House, Chilla	**2.67**	0.48	3.15	**10**	**0.267**
29.	KE-331 Dt.22-08-2020	../SE 2020-21	Repair & overhauling Trunnion Bracket & Arm of Spillway Gate No.-01 of Joshiyara Barrage, Uttarkashi	**11.67**	2.10	13.77	**10**	**1.167**
30.	KE-332 Dt.30-09-2020	04/EE 2020-21	Repair of super structure of Bye-pass Gate No.-1 to 5 at Chilla Power House, Chilla	**2.63**	0.47	3.10	**10**	**0.263**
31.	KE-333 Dt.01-10-2020	../SE 2020-21	Repairing of Bye-pass Gates (Fish belly Gate)-02 Nos. with replacement of rubber seal at Pattari Power House Pathri, Haridwar	**14.21**	2.56	16.77	**10**	**1.421**
32.	KE-334 Dt.15-10-2020	05/EE 2020-21	Repair of stop-log Gantry Crane at Joshiyara Barrage, Uttarkashi	**0.91**	0.16	1.07	**10**	**0.091**
33.	KE-335 Dt.19-11-2020	../SE 2020-21	Overhauling of damaged hoisting parts of Radial Gate No.-01 and Changing seal of Ichari Dam, Ichari (Dehradun)	**19.43**	4.50	22.93	**10**	**1.943**
			Total	**668.68**		**769.91**		**66.868**

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1: ग्राहक विभाग (UJVNL) से GSTप्राप्त न किया जाना `7.79 लाख।

मुख्य अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3219/मु०अ०या०/एस-3(दर सा०) दिनांक 20/08/2018 के द्वारा निर्देशित किया गया कि 01 सितम्बर 2017 के पश्चात सभी आकलनों/दर विश्लेषणों को पुनरीक्षित किया जाए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता,स्थापना खंड, सिंचाई विभाग,रुड़की के अंतर्गत निष्पादित किए गए एक यांत्रिक कार्य (Replacement of bearing of roller assembly with associated parts of 4 No's intake gates of Maneri Dam) से संबन्धित आगणन/DPR(KE-306/2018-19)की लेखा परीक्षा जांच (दिसम्बर 2020)में पाया कि DPRमें निम्न प्रावधान किए गए थे।

S. N.	Items of work	Qty	Rate (`)	Amount (`)
1	Taking out roller assembly from roller gate box of gate dismantling roller assembly parts (Bearing, oil seals, rubber rings, retainers, plates, countersunk screw/Allen key screw etc.)	24 Jobs	12,200.00	2,92,800.00
2	Providing & fixing bearing No. 24122 CCFAG/SKF for roller gate, refitting the roller assembly at the roller box of gate with pin, locking plate etc including all cost of material, labour, T & P require with transportation upto Maneri dam site, Maneri with all cost of material, labour and T& P.	24 Jobs	1,68,190.00	40,36,560.00
Total (including all applicable taxes)				**43,29,360.00**

उपरोक्त प्रावधानों की विस्तृत जांच में पाया कि खंड द्वारा उपरोक्त यांत्रिक कार्य के आगणन में मुख्य अभियंता के कार्यालय ज्ञाप के अनुसार GSTका प्रावधाननहीं शामिल किया गया था जबकि उक्त आगणन यू०जे०वी०एन०एल० को GST Actलागू (जुलाई 2017) होने के बाद प्रेषित (11/2017) किया गया है। लेखा परीक्षा में यह भी पाया कि खंड द्वारा उपरोक्त कार्य (लागत `43.29 लाख) के निष्पादन हेतु चयनित ठेकेदारो/आपूर्तिकर्ता को देय GST काभुगतान भी किया जा रहा है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि GSTAct लागू होने से पूर्व के गठित अनुबन्धो के सापेक्ष जुलाई 2017 के बाद किए गए कार्य निष्पादन हेतु पृथक से GSTकी मांग की गयी थी किन्तु उपरोक्त कार्य (KE-306/2018-19)हेतु GSTकी मांग नहीं की गयी।

अतः स्पष्ट है कि खंड द्वारा उपरोक्त यांत्रिक कार्य (KE-306/2018-19)में विभागीय प्रावधानों के अनुसार GST(@18%)का प्रावधान न किए जाने के कारण यू०जे०वी०एन०एल० से `7,79,285.00 (`43,29,360.00 x @18%)धनराशि कम प्राप्त किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त दरें GST सहित थी। खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त आगणन की दरें वर्ष 2015 की है तथा GST जुलाई 2017 से लागू किया गया है।

अतः विभागीय प्रावधानों के अनुरूप GST(`7.79 lakh) प्राप्त न किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग–III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तरसंख्या**	**STAN**
81/2015-16	--	1	--
77/2016-17	--	1,2	--
44/2018-19	--	1,2	--
47/2019-20	--	1,2,3	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के संबंध में खंड ने उत्तर में बताया कि अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या समय समय पर उचित माध्यम से प्रेषित की जा चुकी हैं।				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--शून्य–

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, स्थापना खंड, सिंचाई विभाग, रुड़की** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेःशून्य**

3. **सतत् अनियमितताएःशून्य**

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-**

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1)	श्री पी के वर्मा	अधिशासी अभियंता	08/2019 से 01/2020 तक
2)	सुश्री रीतिका पाल	अधिशासी अभियंता	02/2020 से वर्तमान तक

5. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड में पदस्थापित रहे:-**

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1)	श्री अरविंद कुमार	प्रभागीय लेखाधिकारी	08/2019 से वर्तमान तक

लघुएवंप्रक्रियात्मकअनियमितताएंजिनकासमाधानलेखापरीक्षास्थलपरनहींहोसकाउन्हेंनमूनालेखापरीक्षाटिप्पणीमेंसम्मिलितकरएकप्रति कार्यालय**अधिशासी अभियंता, स्थापना खंड, सिंचाई विभाग, रुड़की** कोइसआशयसेप्रेषितकरदीजायेगीकिअनुपालनआख्यापत्रप्राप्तिकेएकमाहकेअन्दरसीधेउप-महालेखाकार/ए०एम०जी०-I, कार्यालयप्रधानमहालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकारभवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195कोप्रेषितकरदीजाए।

वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी. - I